an>

Title: Need to enact a law for mass media in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन जिस दर्द से पीड़ित हैं, मैं उसी दर्द के बारे में कहना चाहता हूं। कभी मुरथल की घटना, कभी बेमुला की घटना, कभी जेएनयू की घटना...(व्यवधान) मैं घटना पर नहीं जा रहा हूं। मैं सोशल मीडिया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, आपस में बात नहीं करें। बात करनी है तो स्पीकर से कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What is this entire thing going on?

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Every now and then you start doing it.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं अलाऊ कर रही हूं इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे करें।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बातें मत जोड़िए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात यह है कि यह बात बिल्कुल अलग है। आप जो बात कह रहे हैं, वह अलग है। आपको क्या कहना है डायरेक्ट बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: माननीय अध्यक्ष जी, सेंसटिव मुद्दे जैसे मुरथल या कोई और घटना है, इस देश में लगातार सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इलैक्ट्रानिक्स मीडिया में आती रहती हैं। मीडिया स्वतंत्र और जिम्मेदार व्यवस्था है। कुछ मीडिया वामपंथ हैं कुछ दक्षिणपंथ हैं। मीडिया अलग तरह से बंटा हुई है और अपनी विचारधारा से समाज की किसी घटना को लाता है। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आज समाज में बहुत ही सेंसटिव मुद्दे को अगंभीर तरीके से परोसने की कोशिश की जाती है। चाहे हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या कोई और घटना हो, न्यायालय या विधायिका से संबंधित कई बातें आती हैं। क्या इस संबंध में व्यवस्था की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके लिए कोई जवाबदेही बिल मीडिया के लिए आएगा ताकि समाज मीडिया के तरह-तरह की विचारधारा से बच सके।

HON. SPEAKER: Yes, It is okay.

Shri Suresh Angadi, for one minute only.

...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन : मीडिया पर कारपोरेट घरानों का आधिपत्य है कि वह जो तय करेगा मीडिया उसी विचार को समाज में लाएगी। मीडिया अपने तरीके से विचार लाकर समाज को तोड़ता है, राष्ट्र को तोड़ता है, इंसानियत को तोड़ता है। क्या इस देश में मीडिया के लिए कानून बनेगा? क्या सदन के लिए गंभीर होगा क्योंकि पूरा देश, पूरा राष्ट्र मीडिया की विचारधारा में बंटकर समाप्त होता जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रामचरण बोहरा और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।